

न्यायालय :- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)  
शृंखला न्यायालय-बैहर  
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

**C.R.A./21/2017**

Filing No. C.R.A./ 563 /2017

CNR MP 500500008982017

संस्थित दिनांक - 08.09.2015

- 1- शिवप्रसाद आयु 63 वर्ष वल्द महंगीलाल मालवीय जाति कुम्हार
- 2- श्रीमती विमला मालवीय आयु 53 वर्ष जौजे शिवप्रसाद
- 3- दिलीप आयु 35 वर्ष वल्द शिवप्रसाद मालवीय जाति कुम्हार  
सभी निवासी-क्वार्टर नंबर बी-4/94 मलाजखण्ड  
थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट {म.प्र.} - - - अपीलार्थी।

// / विरुद्ध // /

म0प्र0 शासन द्वारा :-

आरक्षी केन्द्र-मलाजखण्ड, जिला बालाघाट - - - - - उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:-श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आप.प्र.क्र.क.-375/2013 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 से परिवेदित होकर धारा 374 दं.प्र.सं. के अंतर्गत यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की है}

=====

श्री विनोद जैतवार अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री डी.पी. बिसेन अधिकृत लोक अभियोजक वास्ते उत्तरवादी/राज्य।

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 07/07/2017 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील धारा 374 द.प्र.सं. के, श्री सिराज अली, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 375/2013 शासन बनाम शिवप्रसाद वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2015 में धारा 498-ए भा.द.वि. में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/-रु. के अर्थदण्ड तथा धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/-रु. के अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से परिवेदित होकर पेश की गई है।

2. मामले में स्वीकृत तथ्य यह है कि सारिका उर्फ शीतल मालवीय (अ.सा.1) का विवाह दिलीप से 19 नवम्बर 2011 को हुआ था।

3. अभियोजन मामले का सार यह है कि पीड़ित प्रार्थिया श्रीमती सारिका ने पुलिस आरक्षी केन्द्र महिला थाना शहडोल के समक्ष लिखित आवेदन पत्र दहेज प्रताड़ना बाबद पेश किए जाने पर महिला थाना शहडोल द्वारा 0/12 पर दिनांक 20.01.13 को प्रार्थिया से शादी का कार्ड, फोटो, सामान की सूची जप्त कर जप्तीपत्र बनाकर 0/13 पर प्रथम सूचना लेख कर दिलीप, शिवप्रसाद, विमला और रानू को धारा 498ए, 506बी/34 भा.द.वि. तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन लेख कर पुलिस थाना मलाजखण्ड की ओर अपराध की कायमी करने हेतु प्रेषित किए जाने पर दिनांक 14.02.13 को थाना मलाजखण्ड ने आरोपीगण के विरुद्ध 0/13 की नकल कर अपराध क्रमांक 10/13 की कायमी कर अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्र बनाए गए, साक्षीगण के कथन लेख किए गए, अन्वेषण पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को धारा 498-ए भा.द.वि. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दंडित कर त्रुटि की है। अपीलार्थीगण के द्वारा प्रार्थिया से 3,00,000/-की मांग की गई है, किंतु धारा 161 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथनों में 30,00,000/-रु. की बात है जो विश्वास किए जाने योग्य नहीं है। निम्न न्यायालय को यह देखना था कि स्वीकृत रूप से प्रार्थिया के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6, 8 में स्वीकार किया है कि विवाह के पूर्व आरोपीगण ने दहेज की मांग नहीं की, कोई सामान नहीं मांगा, इसी प्रकार अ. सा. 2 प्रार्थिया की माँ के प्रतिपरीक्षण की कंडिका 2 में कथन किए गए हैं। अधिनस्थ न्यायालय को देखना था कि प्रकरण में मलाजखंड, मुंबई का कोई साक्षी न तो आहुत किया न ही परीक्षित कराया गया, स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव है, सुनी सुनाई बातों बचाव के कथनों की पुष्टि अपीलार्थीगण की ओर से अपीलार्थी क्रमांक 3 के धारा 315 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित कथन एवं स्वतंत्र साक्षी अपीलार्थीगण का पड़ोसी है, के कथनों से होती है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में अपीलार्थीगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण और बचाव साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की है, पारित निर्णय तथ्य एवं विधिक सिद्धांतों के विपरीत है, पारित निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त कर अपील स्वीकार किए जाने की याचना की है।

5. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दा.प्र.क. 375/2013, शासन विरुद्ध शिवप्रसाद वगैरह निर्णय दिनांक 25.08.2015 में साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि, तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि किए जाने से आलोच्य निर्णय हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष :-

6. सारिका उर्फ शीतल मालवीय (अ.सा.1) ने विचारण न्यायालय के समक्ष शपथ पर साक्ष्य दी है कि आरोपी दिलीप, शिवप्रसाद, विमलाबाई एवं रानू उर्फ भारती उर्फ बबली के विरुद्ध कथन दिए हैं। मूल आवेदन पत्र प्र.पी. 1 चिन्हित किया है और जप्ती पत्र प्र.पी. 2 को चिन्हित किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में स्वीकार किया है कि उसने जो रिपोर्ट शहडोल में आरोपीगण के खिलाफ की थी उसके पूर्व साक्षी के पति ने साक्षी को उसके अधिवक्ता के माध्यम से विवाह-विच्छेद संबंधी नोटिस भिजवाया था और रिपोर्ट करने के पूर्व उक्त नोटिस को साक्षी ने पढ़ लिया था। पद क्रमांक 6 में स्वीकार किया है कि शादी के पूर्व आरोपीगण ने दहेज की कोई बात नहीं की थी, आरोपीगण ने शादी के पूर्व सामान की कोई मांग नहीं की थी। पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि साक्षी के माता-पिता ने बंबई में जो सामान खरीदा था और उसे दिलीप के घर लाए थे, के संबंध में साक्षी के माता-पिता ने सामान क्रय करने के पूर्व दिलीप से पूछा नहीं था। पद क्रमांक 9 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में और प्र.डी. 1 के कथन में आरोपीगण द्वारा जेवर, सामान मांगने वाली बात नहीं बताई थी। पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में नरेंद्र रानू फोन पर दहेज मांगने की बात करती थी साक्षी ने नहीं लिखा था।

7. रेखा सिमरे (अ.सा.2) ने कथन किया है कि प्रार्थिया सारिका साक्षी की पुत्री है, दिलीप साक्षी की पुत्री का पति है शेष आरोपीगण दिलीप के रिश्तेदार हैं। सारिका का दिलीप से विवाह 19 नवम्बर 2011 को हुआ था। फरवरी 2012 में साक्षी को उसकी पुत्री ने बताया कि उसकी सास दहेज को लेकर परेशान कर रही है। साक्षी ने अप्रैल 2012 में समधन विमला से पूछा कि लड़की और दामाद कब बंबई जाने वाले हैं तो उसने कहा कि दहेज में तीन लाख रुपए दो तब तुम्हारी लड़की बंबई जाएगी नहीं तो यही पर सड़ेगी, यह

बात फोन पर हुई थी, दहेज की मांग सभी आरोपी करते थे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि उसके प्र.डी. 2 के पुलिस कथन में यदि तीस लाख रूपए दहेज मांगने वाली बात लिखी हो तो वह गलत है।

8. इसी साक्षी ने पद क्रमांक 2 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने आमने-सामने दहेज की कोई मांग नहीं की। यह स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने उसे ऐसा बताया था कि विमला कहती है कि सारिका अपना ईलाज कराकर आए। विमला ने कहा था कि तुम्हारी लड़की का ईलाज कराकर मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आओ तभी रखेंगे। साक्षी की पुत्री केवल एक सप्ताह तक ससुराल में मलाजखण्ड में रही थी।

9. गेंदलाल सिमरे (अ.सा.3) ने साक्ष्य दी है कि प्रार्थिया उसकी पुत्री है, आरोपी दिलीप सारिका का पति है शेष आरोपी दिलीप के रिश्तेदार है। साक्षी की पुत्री सारिका का विवाह दिलीप के साथ 19.11.2011 को हुआ था वह अपने ससुराल मलाजखण्ड में 8 दिन रही थी। शादी के बाद मायके आयी तो उसे लेने कोई नहीं आया। साक्षी का पुत्र सचिन साक्षी की पुत्री को लेकर मलाजखण्ड गया था और दूसरे दिन लौट गया था। माह जून 2012 में साक्षी की पुत्री शहडोल सत्यनारायण साहू भाई के साथ आयी थी। तब पुत्री ने बताया था कि ससुराल में उसे अच्छी तरह नहीं रखते और पुत्री की सास विमला उसे चाकू, चिमटा, नेल कटर इत्यादि फेंककर मारती है। साक्षी की पुत्री को विमला ने कहा कि तीन लाख रूपया अपने पिता से लेकर आ तभी बम्बई भेजेगें नहीं तो तू मायके में रह।

10. साक्षी की पुत्री ने साक्षी को यह बताया था कि जब उसके साथ सास द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर वह अपने ससुर को बताती है तो वह कुछ नहीं बोलते है, चुप रहते है। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि 21 अगस्त 2012 को साक्षी, साक्षी की पत्नी, पुत्र सचिन बंबई दीदी के पास गए थे उन्हें गृहस्थी का सामान खरीद दिया था उस सामान को आरोपी दिलीप ने दुकान में वापस कर दिया था। दिलीप ने साक्षी की पुत्री को शहडोल में लाकर छोड़ा, सारिका को मारपीट करने दौड़ा, गाली गलौच की। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में कथन किया है कि उक्त बात प्र.डी. 3 के कथन में बता दी थी यदि न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता। प्र.डी. 3 में तीन लाख के बदले यदि तीस लाख रूपए की मांग लिखी हो तो वह गलत है। यह स्वीकार



किया है कि दिलीप ने रजिस्टर्ड डाक से नोटिस सारिका को भिजवाया था, के बाद उसके विरुद्ध यह रिपोर्ट की है। यह स्वीकार किया है कि आरोपी दिलीप नोटिस नहीं देता तो वह आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते।

11. सत्यनारायण (अ.सा.4) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 में साक्ष्य दी है कि सारिका को आरोपीगण ने शादी के 3 माह तक अच्छे से रखा उसके बाद दहेज के लिए परेशान करने लगे। साक्षी को उसकी भतीजी ने बताया था कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, किसी से बात नहीं करने देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, कोई गलती हो जाती है तो सास बाल पकड़कर मारती हैं, सब्जी के चाकू को फेंककर मारती हैं। सूचक प्रश्न के उत्तर में साक्ष्य दी है कि सारिका ने उसे बताया था कि उसके पति, सास, ससुर तीन लाख रुपए दहेज की मांग कर रहे हैं। उसके ससुर कहते थे कि तीन लाख रुपए लाएंगी तब पति के पास बाम्बे भिजवा देंगे। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में यह स्वीकार किया है कि सास मारपीट करती हैं बताया था, शेष आरोपीगण मारपीट करते हैं यह नहीं बताया था। पद क्रमांक 4 में स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने पैसों की मांग की या नहीं वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सारिका ने सिर्फ यह बताया था कि ससुराल में उसे इधर-उधर नहीं जाने देते हैं। साक्षी के उक्त कथनों के अतिरिक्त पुलिस कथन में अन्य बात लेख की हो तो गलत है। अंत में स्वीकार किया है कि सारिका के बताएनुसार वह बयान दे रहा है।

12. श्यामदेव डोंगरे (अ.सा.5) ए.एस.आई., सुरेश विजयवार (अ.सा. 6) ए.एस.आई., अनुसईया उइके (अ.सा.7) निरीक्षक महिला सेल शहडोल के कथनों को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

13. दिलीप मालवीय (ब.सा.1) ने विवाह पश्चात् 24 अगस्त 2012 तक वैवाहिक संबंध प्रार्थिया सारिका और स्वयं के बीच स्थापित न होना कथन किया है। पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि बंबई में प्रार्थिया साथ में 3 माह रही। किंतु शारीरिक संबंध बनाने के लिये साक्षी की पत्नी हमेशा रोकती थी। तब साक्षी ने प्रार्थिया को उसके मायके छोड़ दिया और दिनांक 11.12.2012 को अधिवक्ता के माध्यम से विवाह-विच्छेद हेतु सारिका को सूचना पत्र प्रेषित किया जिसका उत्तर न देकर दिनांक 14.02.2013 को शहडोल में दहेज प्रताड़ना का

प्रकरण पंजीबद्ध कराया। साक्षी ने और उसके परिवार ने कभी भी सारिका को दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं किया। साक्षी ने पारिवारिक न्यायालय मुंबई में विवाह-विच्छेद का आवेदन पेश किए जाने के पूर्व नोटिस दिया था।

14. प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में स्वीकार किया है कि विवाह के पूर्व दहेज न देने की बात तय हुई थी इसलिए लड़की पक्ष वालों ने कोई दहेज नहीं दिया था। साक्षी की माँ द्वारा दहेज की मांग को लेकर सारिका को मारपीट करना इंकार किया है। यह स्वीकार किया है कि लड़की वाले इतनी राशि देने के लिए सक्षम नहीं थे। साक्षी को सालाना 3,60,000/-रु. वेतन प्राप्त होता है। यह इंकार किया है कि तीन लाख रूपए की मांग के कारण मुंबई में सामान वापस कर दिया। दूसरी शादी करने का कहकर सारिका को प्रताड़ित करना इंकार किया है। शारीरिक संबंध न बनाने के संबंध में झूठा आक्षेप लगाना इंकार किया है।

15. प्रभूदयाल बिसेन (ब.सा.2) के कथन लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

16. अपीलार्थी की ओर से पेश लिखित तर्कों का अध्ययन कर विचार में लिया गया।

17. राज्य/उत्तरवादी की ओर से किए गए तर्कों को विचार में लिया गया तथा प्रार्थिया श्रीमती सारिका की ओर से दिनांक 02.05.2017 को श्री आर. पी. सिंह अधिवक्ता द्वारा पेश लिखित तर्कों का अध्ययन किया गया और गुणदोष के निराकरण के लिए विचार किया गया।

18. अपीलार्थीगण की ओर से दशरथ पी.बुंदेला एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ म.प्र. एवं अन्य 2011 सी.जे. (एम.पी.) 1003 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। इस मामले में याचिकागण ने धारा 482 द.प्र.सं. के अधीन धारा 498-ए/34 भा.द.वि. तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन पुलिस स्टेशन बीना जिला सागर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 112/2006 का अभियोगपत्र पेश होने पर आपराधिक प्रकरण क्रमांक 1424/2006 को समाप्त करने हेतु याचिका पेश की थी जिसमें उन्हें झूठा आलिप्त किए जाने का आधार है। इस न्यायदृष्टांत के पद क्रमांक 5 में शारदाप्रसाद ने विवाह-विच्छेद की याचिका पेश की जिसमें आदेशिका जारी हुई, उपस्थिति के लिए दिनांक 10.03.2006 की तारीख नियत हुई जिसके विपक्ष

में असत्य रिपोर्ट सभी याचिकागण के विरुद्ध दर्ज की गई है। विवाह-विच्छेद की याचिका के आधार पर बाद में रिपोर्ट दहेज प्रताड़ना के लिए किए जाने के माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार कर मामले को समाप्त किया है। इस अपील में यह तथ्य अभिलेख पर है कि विवाह-विच्छेद का नोटिस प्रेषित करने के बाद सारिका ने प्र.पी. 1 की लिखित रिपोर्ट पेश की है।

19. स्टेट ऑफ म.प्र. विरुद्ध सोनू उर्फ राजकुमार 2014 सी.जे.(एम.पी.) 1021 के न्यायदृष्टांत में धारा 498 भा.द.वि. के मामले में प्रथम अपील में दोषमुक्ति के विरुद्ध दी गई अपील में अभिलेख के आधार पर उचित रूप से दोषमुक्त किया जाना निष्कर्षित किया है तथा पति और सास को मंगूबाई द्वारा झूठा फंसाना माना गया है कि वे 25 तोला सोना दहेज में मांगते हैं जबकि उनके समाज में 2 या 3 तोला मंगू बाई के द्वारा दिया गया था। यह परिस्थिति प्रीति गुप्ता एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ झारखंड 2010-7 एस.सी.सी. 667 के प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर मान्य करते हुए दोषमुक्ति को उचित और सही निष्कर्षित किया है।

20. विनीता कश्यप विरुद्ध अरुण सिंह कश्यप 2014 सी.जे. (छ.ग.) 243 न्यायदृष्टांत पेश किया, का अध्ययन किया गया। यह मामला भी धारा 498ए, 323 भा.द.वि. के अपराध से संबंधित है, में प्रतिपादित सिद्धांत का अध्ययन किया गया।

21. साधना यादव विरुद्ध देवेन्द्र कुमार 2014 सी.जे. (एम.पी.) 989 का मामला भी दहेज प्रताड़ना से संबंधित है, का अध्ययन किया गया जिसके पद क्रमांक 6 में घटना के 13 माह तक एफ.आई.आर. दर्ज न किए जाने का कोई कारण न बताए जाने से पीड़ित/प्रार्थी द्वारा किए गए कथन को संदेह से परे नहीं माना है।

22. सविता सोनी विरुद्ध संजय सोनी एवं अन्य 2013 सी.जे. (एम.पी.) 1679 पेश किया गया, का अध्ययन किया गया। यह अपील भी धारा 498 भा.द.वि. के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषमुक्ति के विरुद्ध है जिसमें साक्षियों के कथन के आधार पर विचारण न्यायालय जे.एम.एफ.सी. सोहागपुर जिला होशंगाबाद द्वारा सही निष्कर्ष लेने के कारण अपील निरस्त की गई है।

23. कल्लू खान विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2013 सी.जे. (एम.पी.) 2059 पेश किया, का अध्ययन किया गया। यह अपील भी धारा

498ए, 506 भा.द.वि. तथा धारा 3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध से संबंधित है। इस निर्णय के पद क्रमांक 11 में गीता मेहरोत्रा एवं अन्य विरुद्ध स्टेट एवं अन्य (2012) 10एस.सी.सी. 741 में लिए गए निष्कर्ष कि प्रथम सूचना में स्पष्ट आरोप नहीं है, वैवाहिक संबंधों में तनाव होने से विधिक और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर अभियुक्त को आलिप्त किया जाना पाते हुए इसी निर्णय के पद क्रमांक 12 में साक्षियों के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन की कार्यवाही याचिकाकर्तागण को प्रताड़ित करने की होना निर्धारित कर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी गुना के समक्ष लंबित दा.प्र.क्र. 2183/2012 की कार्यवाही को समाप्त किए जाने का आदेश किया है।

24. उपरोक्त सभी न्यायदृष्टांतों और लिखित तर्कों के संयुक्त आलोक में गेंदलाल सिमरे (अ.सा.3) का प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में यह कथन कि यदि आरोपी दिलीप नोटिस नहीं देता तो वे आरोपीगण के खिलाफ रिपोर्ट नहीं करते, सारिका उर्फ शीतल (अ.सा.1) के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में शपथ पर स्वीकार कथन कि साक्षी ने जो रिपोर्ट शहडोल में आरोपीगण के खिलाफ की थी उसके पूर्व साक्षी के पति ने साक्षी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस तलाक संबंधी भिजवाया था, रिपोर्ट करने के पूर्व उस नोटिस को पढ़ लिया था। पद क्रमांक 6 में इस साक्षी का कथन किया कि आरोपीगण ने शादी के पहले दहेज की कोई बात नहीं की थी, आरोपीगण के शादी के पूर्व कोई सामान की मांग नहीं की थी। पद क्रमांक 7 में यह कथन कि उसकी ननंद रानू ने दहेज की मांग फोन पर करती थी, प्र.पी. 1 की रिपोर्ट में नहीं लिखाया था। इसी प्रकार रेखा सिमरे (अ.सा.2) के कथनों में आयी साक्ष्य से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थिया सारिका उर्फ शीतल को अपीलार्थी दिलीप के द्वारा विवाह-विच्छेद के लिए नोटिस दिए जाने पर, नोटिस प्राप्त होने पर, पढ़ने के पश्चात् विरोधी कार्यवाही करने हेतु प्र.पी. 1 की प्रथम सूचना लेख कर दर्ज कराई गई है।

25. अपीलार्थीगण उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के आलोक में संदेह का लाभ पाने के पात्र है। यह लाभ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नहीं दिया है। साक्ष्य के मूल्यांकन में सरलता नहीं है। साक्षीगणों ने स्वीकार किया है कि शादी के पूर्व दहेज की कोई मांग नहीं हुई, बात नहीं हुई थी इसलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है, के



उपरांत भी धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अधीन अपीलार्थीगण को दंडित कर विधिक त्रुटि की है, निर्णय हस्तक्षेप योग्य है तथा धारा 498ए भा.द.वि. का अपराध विवाह-विच्छेद के नोटिस पश्चात् बदले की भावना से प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेख कर कायमी कराई गई है, इसलिए भी धारा 494ए भा.द.वि. के अधीन पारित दण्डादेश विधिक दृष्टि से हस्तक्षेप है।

26. परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से पेश अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 25.08.2015 अपास्त किया जाता है।

27. अपीलार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद बुक क्रमांक 40, 41, 42/859 दिनांक 25.08.2015 द्वारा क्रमशः 1500/—, 1500/—, 1500/—रूपए जमा किये हैं। अपील अवधि पश्चात् उक्त राशि अपीलार्थीगण के खाते में ई-भुगतान द्वारा प्रदान की जावे।

28. निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर पंजी में परिणाम दर्ज करने प्रेषित किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित  
किया गया।

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

सही/—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर

प्रतिलिपि:— एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख संलग्न कर नतीजा दर्ज करने सूचनार्थ प्रेषित।

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट  
शृंखला न्यायालय बैहर